झारखण्ड सरकार

न्यायालय, भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, धनबाद।

मिस अपील वाद संख्या– 01/2021–22

पवन रवानी

–बनाम्–

अंचल अधिकारी, झरिया

–:आदेश:–

अभिलेख उपस्थापित। अपीलार्थी के द्वारा यह अपील वाद अंचल अधिकारी, झरिया के द्वारा विविध वाद संख्या– 06/2021–22 में दिनांक– 31.08.2021 को पारित आदेश से क्षुब्ध होकर दायर किया गया है। अपीलार्थी के द्वारा अपना लिखित एवं मौखिक पक्ष प्रस्तुत कर बताया गया कि उनके द्वारा दलील संख्या– 3473, दिनांक– 01.06.2012 से झरिया अंचल अंतर्गत मौजा– परबाद, में रकवा– 09 डिसमील भूमि की खरीदगी की गयी, जिसका दाखिल–खारिज वाद संख्या– 57/2012–13 द्वारा स्वीकृत है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि अंचल अधिकारी के द्वारा विविध वाद संख्या– 06/2021–22 के पारित आदेश में पवन रेवानी, पिता– स्व0 अघनु रवानी के द्वारा मौजा– परबाद, खाता सं0– 27, प्लॉट सं0– 808, रकवा– 20 डिसमील एवं प्लॉट सं0– 816, रकवा– 09 डिसमील भूमि खतियानी रैयत भवानी दास बिद दी0 के द्वारा पवन रेवानी, पिता– स्व0 अघनु रवानी को विक्रय किया गया है, जिसका दाखिल–खारिज 57/2012–13 में आदेशानुसार ऑफलाईन जमाबंदी सं0– 103 में पवन रवानी, पिता– स्व0 अघनु रवानी के नाम दर्ज है, तथा ऑनलाईन पंजी– 2 के भाग वर्तमान –01, पृष्ठ सं0–61 में पवन रवानी, पिता– स्व0 अघनु रवानी का प्लॉट सं0– 808 एवं 816, रकवा– 29 डिसमील में नाम दर्ज होने का उल्लेख किया गया है, चूँकि ऑनलाईन पंजी– 2 में विक्रेता के जमाबंदी से खरीदगी भूमि को नही घटाया गया है। उनके द्वारा अपने खरीदी गयी भूमि को रैयत के पंजी–2 से भूमि घटाने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त तथ्यो से यह स्पष्ट होता है कि यह मामला दोहरी जमाबंदी से संबंधित है, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो एवं अंचल अधिकारी के द्वारा विविध वाद संख्या– 06/2021–22 में पारित आदेश के अवलोकनोपरांत अपीलार्थी के द्वारा खरीदी गयी भूमि को विक्रेता के ऑनलाईन पंजी–2 में से घटाया जाना अपेक्षित है। अतः अपीलार्थी द्वारा दायर अपील वाद स्वीकृत किया जाता है।

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, झरिया को अनुपालन हेतु भेजे।

लेखापित एवं संशोधित,

भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता,
धनबाद।

Digitally signed by SATISH CHANDRA
Date: 2023.09.02 16:19:57 +05:30
Location: 192.168.29.168

भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता,
धनबाद।

Scanned by CamScanner